

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0
पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या- 13/2019 प्रार्थना पत्र

दिनांक 18.11.2021

अनवान

1. रतनलाल पिता नारायण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
2. वरदी पुत्री नारायण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
3. गुलाबी बेवा नारायण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
4. गोपाल पिता नारायण जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
5. सुशीला पुत्री चेना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
6. चांदी पुत्री चेना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
7. टम्मू पत्नि चेना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
8. श्याणी पुत्री होकमा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
9. नाथू पिता कालू जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
10. धनराज पिता कालू जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
11. कमला पुत्री कालू जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
12. रामी पत्नि कालू जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
13. सुरेश पिता चम्पा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
14. नन्दू पत्नि चम्पा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
15. मांगू पिता भाना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर

.....प्रार्थिगण


बनाम

1. नारायण मुतबन्ना रामा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज)

---विपक्षीगण


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोड़ी गई नवीन धारा 251-ए के तहत इस अधिनियम अस्तुत किया -


उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़



कि भौजा भादसोडा, पटवार हल्का भादसोडा तहसील भदसर, जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 642 में अंकित आराजी नम्बर 2633 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ.नं. 2637 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त रूप से दर्ज खातेदारी स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2070-2075 एवं नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी नं० 2637 रकबा 0.50 हैक्टेयर पर पास ही स्थित विपक्षी सं० 1 की आ०नं० 2395 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2396 रकबा 0.49 हैक्टेयर की मेड पर बने कदीमी रास्ते से होकर आते जाते हैं और इसी रास्ते से अपनी आराजीयात पर बेलगाडी, कृषि उपकरण आदि लाते ले जाते रहे हैं। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास उक्त आराजीयात पर जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। लेकिन नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उनकी आराजीयात पर आने जाने से रोक दिया है एवं रास्ते पर पक्का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया है तथा प्रार्थीगण द्वारा इस रास्ते से गुजरने पर लडाईं झगडा करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रार्थीगण के पास विपक्षीगण की आराजी के कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी आराजीयात पर आने जाने का नहीं है और प्रार्थीगण का अपनी आराजीयात पर जाकर कृषि कार्य करना कठिन हो रहा है। प्रार्थीगण की कलम सं० 1 में वर्णित आराजी नं० 2637 रकबा 0.50 हैक्टेयर पर आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिये विपक्षी सं. 01 की उक्त आराजी नं० 2395 एवं आराजी नं० 2396 की मेड पर बने कदीमी रास्ते को आराजी नम्बर अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कराना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता कायमी हेतु पेश है। प्रार्थीगण सरकारी मापदण्डानुसार डीएलसी दर से रास्ते की भूमि की कीमत अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण सं. 288 दिनांक 26.05.1961 के अनुसार वक्त निर्णय ग्रा०पं० भादसोडा द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट निर्णय दिया की आराजी नम्बर 2105 के दक्षिण में 2 बिस्वा रास्ता रखा जावे तथा वक्त दर्ज उपरोक्त रास्ते के विवरण का ध्यान रखा जावे तदनुसार संवत् 2022 से 2025 के खाता सं. 117 में खातेदार रामा पिता जयचंद के नाम दर्ज हुआ जिसके आराजी नम्बर 1887/2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में 5 बीघा 03 बिस्वा मगरी व 2 बिस्वा रास्ता कायम किया गया जो


उपखण्ड अधिकारी
भदसर, जिला-चित्तौड़गढ़


जमाबंदी से भी स्पष्ट है एवं मौके पर इसी अनुसार कदीमी रास्ता मौजूद है जिसे विपक्षी सं. 01 ने वर्तमान में अवरूद्ध कर बंद कर दिया जिसे खुलवाया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी नं0 2637 रकबा 0.50 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी नं0 1 की आ0नं0 2395 रकबा 0.20 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 2396 रकबा 0.49 हैक्टेयर की मेड पर बने कदीमी रास्ते की भूमि के आराजी नम्बर अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी सं. 01 की ओर से वकील श्री फारूख मोहम्मद ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। पैरोकार सरकार द्वारा मौका कमीशनरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 2637 में आने जाने हेतु दक्षिण दिशा की आराजी नम्बर 2397 में भी वैकल्पिक रास्ता हो सकता है मौके पर प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता जो 2395 एवं 2396 में से 4 मीटर चौड़ा एवं 112 मीटर लम्बा का रास्ता बनता है जो प्रार्थी की आराजी नम्बर 2637 में जाने के लिये बनेगा। आराजी नम्बर 2395 एवं 2396 में से बनने वाला रास्ता प्रार्थीगण की परिवार की संयुक्त आराजी में छोड़े गये रास्ते में शामिल हो जायेगा जो रेकार्ड में दर्ज नहीं होकर सहमति से कार्यरत होकर चालू है। जिसे राजस्व रेकार्ड के नक्शे में दर्शाया गया है। ग्राम भादसोडां की आराजी नम्बर 2395 एवं 2396 की सीमा में से $64*4=256$ वर्गमीटर भूमि एवं आराजी नम्बर 399 में से $112*4=448$ वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता रहेगी। प्रार्थीगण की आराजी तक रास्ते में प्रयुक्त होने वाली कुल भूमि 448 वर्गमीटर की डी0एल0सी0 जमा कराने पर रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई रिकॉर्डेड मार्ग नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीमी से आ जा रहे हैं इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2637 पर पहुंच मार्ग हेतु रिकॉर्डेड मार्ग



उपखण्ड अधिकारी
भदोसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु मार्ग का अभाव होने से विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 2395 एवं 2396 की मेड पर होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है प्रार्थीगण आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते हैं।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पहुंच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20-9-2014 एवं परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14-1-2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2637 पर पहुंचने के लिए विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 2395 एवं 2396 में से $112 \times 4 = 448$ वर्गमीटर भूमि जो रिपोर्ट में ए से बी प्रस्तावित की गई है पर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 2637 तक कुल 448 वर्गमीटर भूमि का रास्ते हेतु उपयोग होना कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251-ए निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है -

1. ग्राम भादसोडां पटवार हल्का भादसोडा की आराजी संख्या 2637 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि पर रेकोर्डड मार्ग नहीं होकर पहुंच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 2395 एवं 2396 में से $112 \times 4 =$



उपरखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

448 वर्गमीटर भूमि मेड के सहारे 4 मीटर चौड़ा रास्ता आराजी नम्बर 2637 तक भूमि कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्यांकन की राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा ।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीगण का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोदभूत नहीं होंगे ।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदोसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्यांकन की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति हेतु वसूल किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु प्रेषित की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।




(अंजु शर्मा)
सुपरवाइड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदोसर, जिल्हा, गुजरात